खण्ड-449, अंक-2
शुक्रवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1926
(23 जुलाई, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–च
प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास ...(जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1-14
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	15
जनपद अम्बेडकर नगर के पौसरा राजवाहा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद जौनपुर में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद चन्दौली में महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16-17
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	17
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)..	18
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	18
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004, (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2004 ...(सदन के पटल पर रखी गयी) ...	19
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर	19-20
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	20

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	20
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	20
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	21
इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	21
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	21
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	21
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	21-22
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 ...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	22
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	22
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	22
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	22
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	23
इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	23
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख सुविधा (संशोधन) विधेयक, 2004 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	23
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 ...(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	23-24
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव...(स्वीकृत)	24-26
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004(पुरः स्थापित) ...	26
प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास (जारी) ...	26-27
नियम-311, नियम 301 एवं नियम–300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चर्यानित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	27-32

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य सूची की मद संख्या–23 पर डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री अक्षयवर लाल गोंड, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री रमापति राम उर्फ श्री रमाकान्त गोंड के निर्धारित संकल्प का मा० सदस्यों द्वारा प्रस्तुत न किया जाना ...	32
प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण संबंधी डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की नियम-52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा पर मा० सदस्य द्वारा विचार व्यक्त न किया जाना	32
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	33-34
मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की जर्जर स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	34-35
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ शहर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	35-37
राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रति सूडा के अधिकारियों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध वेतन आदि में वित्तीय अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	37-38
जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	38-40
जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र को गाढ़ा ताल व टोंस नदी की बाढ़ से बचाने हेतु पक्की ड्रेन बनाये जाने के संबंध में श्री घूरागम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री के केवल वक्तव्य ...	40-41
जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पकड़ी ताल से निकलने वाली ड्रेन की खुदाई किये जाने के संबंध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	41
नत्थियां	42-45

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे कार्यकारी अध्यक्ष डा० वकार अहमद शाह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य–355

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अजय कुमार, श्री	बागपत	अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनारे सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अशोक वाजपेयी, डा०	हरदोई
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	आर०एस० कुशवाहा, श्री	खीरी
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आशीष यादव, श्री	बदायूं
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
अमरमणि, श्री	महराजगंज	इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस	उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
		उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर

ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां	
उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार	
उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जुगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल	
उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायन	
उर्फ जी०एम० सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा०	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
प्रीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, एम०काम०, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत

मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द विन्द, डा०	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंख लाल मांझी, श्री	सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
श्री राम भारती, श्री	मिर्जापुर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल		सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
समरपाल सिंह, श्री	बागपत	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सर्वेश कुमार उर्फ		हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सियाराम सागर, डा०	बरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़		
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा		

नोट :–श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री),

श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री),

श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) तथा

श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे ।

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004

प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात एक साथ कहने का प्रयास करते हुए पोस्टर और बैनर दिखाते हुए सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में आये हुए अनेक सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों से कहें कि वे अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं ।

कृपया आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के कुछ सदस्य पीले रंग का नारा लिखा बैनर दिखाते हुए नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने आसन पर जायें ।

(वेल में आये हुए सदस्यों द्वारा नारा लगाते रहने और अपने स्थान पर वापस न जाने पर)

सदन को 12.20 बजे तक स्थगित किया जाता है ।

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण श्री कार्यकारी अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वर्तमान खरीफ सत्र में प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य

**1–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान खरीफ सत्र में सरकार ने प्रदेश में खाद्यान्न उपज का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा० अशोक वाजपेयी)–

वर्तमान खरीफ सत्र 2004-05 के लिए 179.50 लाख मी० टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है ।

2–जी हां । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 4.25 लाख कुन्टल बीज, 29.25 लाख मी० टन विभिन्न रसायनिक उर्वरकों तथा 2000 करोड़ रुपये फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

3–प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

*1–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर भारत के प्रमुख मेला नौचन्दी मेरठ को व्यापार कर से छूट दिये जाने की मांग

*2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर भारत के प्रमुख मेला नौचन्दी मेरठ में जिसमें कृषि एवं उद्योगों के प्रमुख बाजार लगते हैं, को ग्वालियर मेले की भांति व्यापार कर से मुक्त करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-12-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)–

जी हां ।

सम्यक् विचारोपरान्त उक्त मेले में विविध वस्तुओं की बिक्री पर व्यापार कर की छूट दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संचालित योजनाएं

*3–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मई, 2004 तक उ० प्र० में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं ? क्या सरकार उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यक्रम बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर 31 मई, 2004 की स्थिति में 14,90,133 शिक्षित बेरोजगार हैं ।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध नाम समप्रेषित करने की कार्यवाही की जाती है । साथ ही उन्हें स्वतः रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है । प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की रोजगार सृजन की अपनी कोई योजना नहीं है । प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिनका संक्षिप्त ब्योरा संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 42-43 पर ।)

जिला पंचायत अम्बेडकर नगर की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मांग

*4–श्री लालजी वर्मा, श्री जयराम विमल तथा श्री धर्मराज निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद अम्बेडकर नगर को समाप्त कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि जिला पंचायत अम्बेडकर नगर को जिला पंचायत फैजाबाद में शामिल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जिला पंचायत फैजाबाद की आयोजित हुई बैठकों में अम्बेडकर नगर जनपद से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य एवं पदेन सदस्यों को आमंत्रित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला पंचायत अम्बेडकर नगर के विघटन से पूर्व स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी नहीं । जनपद अम्बेडकर नगर को दिनांक 16-7-2004 को विज्ञप्ति द्वारा बहाल कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

वर्षा ऋतु समाप्त होने के उपरान्त पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[1ले बुधवार के अता० प्र० सं०–122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद खीरी के दक्षिण खीरी वन प्रभाग में अवैध रूप से काटे गये इमारती पेड़

2–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण खीरी वन प्रभाग, खीरी में दिनांक 4 फरवरी, सन् 2004 से दिनांक 20 मार्च, सन् 2004 तक कुल कितने इमारती पेड़ अवैध रूप से काटे गये हैं तथा कुल कितने घनफुट इमारती लकड़ी वन विभाग द्वारा बरामद की गयी तथा उससे कितनी धनराशि जुर्माने के रूप से वसूल की गयी ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

दक्षिण खीरी वन प्रभाग में दिनांक 4 फरवरी, 2004 से दिनांक 20 मार्च, 2004 तक 31 इमारती पेड़ों (साल, सागौन, शीशम) अवैध रूप से काटे गये ।

वन विभाग द्वारा 341.21 घनफुट इमारती लकड़ी बरामद की गयी तथा अभी तक रु० 77,200/- की धनराशि प्रतिकर के रूप में वसूल की गयी ।

जनपद खीरी के दक्षिण खीरी वन प्रभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

3–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण खीरी वन प्रभाग खीरी में कुल कितने रेंज हैं ? इनमें कुल कितने दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी हैं ? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी किस-किस रेंज में तैनात हैं ? दिनांक 04 फरवरी, सन् 2004 से दिनांक 20 मार्च, सन् 2004 तक कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया गया है ? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दक्षिण खीरी वन प्रभाग से कुल 06 रेंज है ।

दक्षिण खीरी वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में कुल 33 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं ।

दक्षिण खीरी वन प्रभाग के भीरा मैलानी गोला, मोहम्मदी तथा मैगलगंज रेंज में अनुसूचित जाति के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है । अनुसूचित जनजाति का कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी किसी भी रेंज में नहीं है ।

दिनांक 04 फरवरी, 04 से दिनांक 20 मार्च, 04 तक दक्षिण खीरी वन प्रभाग के कुल 33 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जिनमें 06 अनुसूचित जाति के सम्मिलित हैं, में से किसी को भी बजट के अभ में

पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा सका । उक्त सभी 33 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के आलोच्य अवधि के अवशेष पारिश्रमिक का भुगतान माह मई, 2004 में कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बिजनौर वृक्षारोपण वन प्रभाग नजीबाबाद में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गयी चालकों की नियुक्तियां

4–श्री राम स्वरूप सिंह, श्री इन्द्रदेव सिंह तथा श्री राम कृपाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर वृक्षारोपण वन प्रभाग, नजीबाबाद में दिनांक 04 अगस्त, सन् 2003 से दिसम्बर, सन् 2003 के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चालकों की नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

04 अगस्त, 2003 से दिसम्बर, 2003 के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वृक्षारोपण वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा सिविल अपील संख्या-3634/1998 राज्य सरकार बनाम पुत्तीलाल में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 फरवरी,2002 के क्रम में 04 वाहन चालकों के पदों पर विनियमितीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

शासन के आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2003 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को स्थगित कर दिया गया था । अनुवर्ती आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 द्वारा विनियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने की छूट प्रदान की गयी थी ।

चूंकि उपरोक्तानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में की गयी है इसलिए किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौपुर की दुग्ध डेरी के घाटे की पूर्ति कराकर, जनपद जौनपुर में ही संचालित कराये जाने की मांग

5–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर की दुग्ध डेरी घाटे में होने के कारण जनपद–वाराणसी से सम्बद्ध कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त डेरी के घाटे की पूर्ति कराकर जनपद-जौनपुर में ही संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)–

जी नहीं, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जौनपुर के प्रभारी का कार्य अतिरिक्त रूप से प्रभारी, दुग्ध संघ वाराणसी को दिया गया था, परन्तु 8 अप्रैल, 2004 से आदेशांक–182/डी–1/पीईआर/बी/स्था०/2003-04, दिनांक 8 अप्रैल, 2004 द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है । जौनपुर जनपद आपरेशन फ्लड् योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984 से संचालित है । जनपद जौनपुर का 01 से

15 जुलाई, 04 तक का औसत दुग्ध उपार्जन 358 कि०ग्रा० प्रतिदिन है । दिनांक 15-7-04 को 445 कि०ग्रा० दूध उपार्जित हुआ, तथा वर्ष 2003-04 का औसत दुग्ध उपार्जन 899 कि०ग्रा० प्रतिदिन रहा । जनपद में दुग्ध उपार्जन व विपणन कार्य संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सेवायोजन कार्यालय उन्नाव में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति

6–श्री आर०पी० एन० सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सेवायोजन कार्यालय, उन्नाव में कितने कर्मचारी विगत 5 या उससे अधिक वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र जिलों में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जिला सेवायोजन कार्यालय, उन्नाव में सात कर्मचारी ऐसे हैं जो पांच या उससे अधिक वर्षों से तैनात हैं । केवल पांच वर्ष से अधिक अवधि के आधार पर स्थानान्तरण पर विचार किया जाना प्रस्तावित नहीं है । क्योंकि स्थानान्तरण नीति वर्ष 2004-05 में सामान्य स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है तथा पांच वर्ष की अवधि के आधार पर स्थानान्तरण की बाध्यता नहीं है ।

जनपद फैजाबाद, तहसील-मिल्कीपुर, ब्लाक-खण्डासा अन्तर्गत ग्राम-रानीपुर से ग्राम घोड़वल तक जाने वाली सड़क के डामरीकरण की मांग

7–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद तहसील-मिल्कीपुर, ब्लाक-खण्डासा के अन्तर्गत स्थित ग्राम-रानीपुर से ग्राम घोड़वल तक (बाराजिल्ला) जाने वाली सड़क के खड़ंजे का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा चुका है ? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त सड़क को डामरीकरण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण संभव नहीं है ।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास विभाग के अधीन समूह 'ग' के पदों पर चयन संबंधी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में दुग्धशाला विकास विभाग के अधीन समूह 'ग' (ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक) वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक (विशेष चयन) करके अपर सचिव लोक सेवा आयोग का पत्र

संख्या–81/9/एस–2डी/98-99 इलाहाबाद दिनांक 19 नवम्बर, 2000, अपर दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार कब तक ग्रहण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

यह चयन पर्वतीय उपसंवर्ग रिक्त पदों हेतु किया गया था जिन्हें उत्तरांचल राज्य गठन के दिनांक 8/9-11-2000 को जाने के बाद पदों का आवंटन उत्तरांचल राज्य को कर दिया गया था । आयोग की चयनित अभ्यर्थियों की सूची उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद प्राप्त हुई थी जिसे कार्यवाही हेतु नवगठित राज्य को भेजा गया । उत्तरांचल राज्य द्वारा इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान न किये जाने की दशा में उ०प्र० शासन के शा०सं०-15/45-2000-का-4-2004, दिनांक 20-2-04 के क्रम में इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नही की जा सकती ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-15/45/2000-का-4-2004, दिनांक 20-2-04 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के ग्राम पूरे देवजानी में मो० नसीम आदि द्वारा की गयी स्टाम्प शुल्क की चोरी

9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद तहसील पट्टी के ग्राम पूरे देवजानी में मो० नसीम पुत्र मो० अमीन खां आदि द्वारा की गयी स्टाम्प शुल्क की चोरी के विरुद्ध 11 लाख 76 हजार 80 रुपया की वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख-2/997672 दिनांक 30-1-2004 प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं मा० मुख्य मंत्री जी को पत्र संख्या–ख-2/997678 दिनांक 13-2-04 प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)–

जी हां ।

जिला मैजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण में क्रेता के विरुद्ध नियमानुसार वाद की सुनवाई की गयी तथा सुनवाई के उपरान्त जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के न्यायालय में दिनांक 7-7-2004 को गुण-दोष के आधार पर क्रेता के विरुद्ध आदेश पारित किया गया जिसमें कुल 14,31,325.00 रुपया कमी स्टाम्प शुल्क, ब्याज + दण्ड के रूप में अधिरोपित किया गया जिसकी वसूली के सम्बन्ध में एक पक्ष के बाद वसूली प्रमाणक जारी किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री रियाज अहमद–

[2सरे गुरूवार के अता०प्र० सं०–68 के अन्र्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में घाटे पर चल रही दुग्ध समितियां

11–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वर्तमान समय में कितनी दुग्ध समितियां घाटे में चल रही है ? क्या सरकार घाटे पर चल रही समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

जी हां, प्रदेश में इस समय 761 दुग्ध समितियाँ घाटे पर चल रही है ।

इन्हें लाभ में लाने हेतु विभिन्न विभागीय योजनायें संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से इन्हे सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव, कर निबन्धन विभाग की अध्यक्षता में विधि समिति की बैठक में लिये गये निर्णय

12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या कर एवं निवन्धन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17-2-2003 को प्रमुख सचिव, कर निवन्धन विभाग की अध्यक्षता में विधि समिति की बैठक हुई थी जिसमें दिनांक 1-12-1998 से 31-3-2001 तक की अवधि का लकड़ी आकृतियों का व्यापार कर माफ किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय लागू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय गर्ग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बैठक में कमिश्नर, व्यापार कर से कुछ सूचनायें प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । विधि समिति कर माफी करने के लिये प्राधिकृत नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर डेयरी में हुई हानि के कारणों की जांच

13–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या दुग्ध विकास मंत्री को विदित है कि शाहजहांपुर डेयरी, प्रवन्धक की आर्थिक अनियमितताओं के कारण हानि पर चल कर वन्द होने की स्थिति में है और दुग्ध उपार्जन 2000-01 की तुलना में 1/3 हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त डेयरी में हानि के कारणों की कोई जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय–

वर्ष 2000-2001 में दैनिक दुग्ध उपार्जन 7503 कि०ग्रा० प्रतिदिन के सापेक्ष वर्ष 2003-2004 में दुग्ध उपार्जन 4885 कि०ग्रा० प्रतिदिन रहा ।

प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कराने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सौर ऊर्जा रिसर्च सेन्टर स्थापित करने की मांग

14–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को जन सामान्य के लिये उपयोगी बनाने हेतु सौर ऊर्जा द्वारा स्ट्रीट लाइटों/लालटेन एवं उसके प्रोडक्ट्स की कीमत घटाने हेतु कोई सौर ऊर्जा रिसर्च सेन्टर स्थापित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

सौर ऊर्जा चलित संयंत्रों की कीमतों का नियंत्रण भारत सरकार में गठित कमेटी (ज्वाइंट इम्पलीमेंटेशन बोर्ड) द्वारा किया जाता है ।

जनपद बिजनौर, तहसील नगीना ग्राम जहानाबाद खोबड़ा में जंगली हाथियों द्वारा फसल नष्ट करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

15–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम जहानाबाद खोबड़ा तहसील नगीना, जनपद बिजनौर में जंगली हाथियों द्वारा किसानों की गन्ना फसल माह मई, 2004 में नष्ट करने के सम्बन्ध में वन विभाग को एक जून, 2004 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित ग्राम जहानाबाद खोबड़ा, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर में जंगली हाथियों द्वारा मई, 2004 में किसानों की गन्ना फसलों के नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 26 मई, 2004 से 28 मई, 2004 के बीच जंगली हाथियों द्वारा की गयी फसलों की क्षति का आकलन कराकर, क्षति ग्रस्त क्षेत्र 2.546 एकड़ कृषि फसलों की क्षति के लिये शासनादेश संख्या–2384/14-4-96-836/92 दिनांक 6-12-1996 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार रु० 6365.00 की क्षति पूर्ति के भुगतान का आदेश उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा निर्गत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विकास निधि अन्तर्गत ब्लाक मगरौरा के स्वीकृत मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण

16–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत ब्लाक मगरौरा में नरहरपुर औरंगाबाद जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा स्वीकृत मार्ग का निर्माण पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

उक्त मार्ग के निर्माण के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा रु० 4.50 लाख स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष जिला पंचायत प्रतापगढ़ को रु० 3.31 लाख अवमुक्त किया गया जिसके गिट्टी कुटाई स्तर तक कार्य पूर्ण कराया गया है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ से समुचित धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकता है ।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण

17–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत विगत वर्ष 2003 में प्रदेश में वृक्षारोपण किया गया था ? यदि हां, तो उसमें जीवित वृक्षों का प्रतिशत क्या है ? क्या यह सत्य है कि उसमें से 80% से अधिक पेड़ सूख गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्य योजना बनायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, वर्ष 2003 में प्रदेश में वन विभाग, उ०प्र० द्वारा कराए गए वृक्षारोपण की औसत फसलों 75 प्रतिशत से अधिक है ।

जी नहीं, औसत 75 प्रतिशत से अधिक पौध मष्ट हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में बिना वैध लाइसेन्स के चलायी जा रही आरा मशीनें

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कुल कितनी आरा मशीनें बिना वैध लाइसेंस के चलायी जा रही है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में जनपद प्रतापगढ़ में कोई आरा मशीन बिना वैध लाइसेंस के नहीं चलाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा कराये गये कार्यों में वित्तीय अनियमितता की जांच सम्बन्धी पत्र

19–श्री धर्मराज निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री स्टाम्प एवं मनोरंजन कर के पत्र संख्या–819/एस०आई०/बी०आई०पी०/03, दिनांक 29-1-2004 तथा पत्रांक संख्या–824/एस०आई०/बी०आई०पी०/03, दिनांक 30-1-04 के साथ संलग्न श्री शिव मंगल शरण त्रिवेदी ग्राम–लोहटीजई, तहसील व ब्लाक-रामनगर, जिला–बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र जो ग्राम प्रधान एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा कराये गये कार्यों में वित्तीय अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, क्रमशः प्रमुख सचिव, पंचायती राज तथा मा० ग्राम्य विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जी हां।

जांच में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया, इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

20–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

वित्तीय अनियमितताओं के लिये आरोपित श्री लालाराम गौतम वन क्षेत्राधिकारी को भोगनीपुर रेंज कानपुर देहात से हटाने की मांग

21–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के लिये आरोपित वन क्षेत्राधिकारी को चार्ज न दिये जाने के शासनादेश के विपरीत श्री लालाराम गौतम वन क्षेत्राधिकारी जोकि फर्रूखाबाद व कानपुर वन प्रभाग दोनों जगह से आरोपित है तथा जिनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, को भोगनीपुर रेंज कानपुर देहात वन प्रभाग में दिनांक 20-2-04 को तैनात किया गया है ? यदि हां, तो सरकार आरोपित किये गये श्री लालाराम गौतम, वन क्षेत्राधिकारी को भोगनीपुर रेंज, कानपुर देहात से हटाये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्तीय अनियमितता के लिए आरोपित वन क्षेत्राधिकारी को रेंज चार्ज न देने सम्बन्धी कोई शासनादेश नहीं है । श्री लालाराम गौतम वन क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है परन्तु उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप नहीं है । श्री लालाराम गौतम को भोगनीपुर रेंज कानपुर वन प्रभाग में दिनांक 20-02-2004 को तैनात किया गया था ।

श्री लालाराम गौतम, वन क्षेत्राधिकारी को भोगनीपुर रेंज, कानपुर देहात से दिनांक 09-07-2004 के आदेश द्वारा हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर जिले के जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित वेतन का भुगतान

22–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्या निर्धारित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

23–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में जिला पंचायत प्रतापगढ़ में वर्ष 1996 से जून, 2004 तक कौन-कौन से मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये और उनमें से कौन से मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण किये गये ? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1996 से जून, 2004 तक कुल 30 मार्ग स्वीकृत है । सूची संलग्न है । लेपन स्तर तक 6 मार्ग पूर्ण किये गये हैं । सूची संलग्न है । अधूरे कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करा लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 44-45 पर ।)

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सांसद निधि से हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

24–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत उद्योग प्रतापगढ़ द्वारा जनपद विधान सभा पट्टी में सांसद निधि से पोषित 78 हैण्ड पम्प वर्ष 2001-02 में तथा 256 हैण्ड पम्प वर्ष 2002-03 में लगाये गये थे ? यदि हां, तो उनमें से वर्तमान में कितने कार्य कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं। जिला पंचायत उद्योग प्रतापगढ़ द्वारा जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सांसद निधि से वर्ष 2001-02 में 20 हैण्ड पम्पों तथा वर्ष 2002-03 में 110 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया गया है । वर्तमान में सभी हैण्डपम्प कार्य कर रहे हैं । किसी हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना नहीं मिली है ।

प्रश्न नही उठता ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में नये पशु चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु शासनादेश निर्गत करने तथा धनराशि अवमुक्त करने की मांग

25–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में नये पशु चिकित्सा केन्द्र/पशु सेवा केन्द्र, रेडीगारापुर हरिपुर बरदेता, सराय शंकर की स्थापना एवं पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र के भवन निर्माण स्थल बाडूपुर, मदाफरपुर को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

बजट की उपलब्धता होने पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम गौरी खालसा में अनधिकृत रूप से आरा मशीन चलाने तथा लकड़ी कटान की जांच

26–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्रामगौरी खालसा निवासी रियाइत हुसैन द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस आरा मशीन संचालित की जा रही है और अवैध रूप से लकड़ी की कटान करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त आरा मशीन को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायाम सिंह यादव–

वर्तमान में जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत ग्राम गौरी खालसा निवासी श्री रिवाइत हुसैन द्वारा कोई आरा मशीन संचालित नहीं की जा रही है और न हीं अवैध रूप से लकड़ी की कटान की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-प्रतापगढ़ में नवसृजित विकास खंड बाबा बेलखरनाथ का गठन

27–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में नवसृजित विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम को विकास खण्ड शिवगढ़, पट्टी मंगरौरा के किन-किन न्याय पंचायतों को सम्मिलित कर गठित किया गया है ? क्या विकास खण्ड शिवगढ़, पट्टी मंगरौरा से अलग होकर बाबा बेलखर नाथ धाम विकास खण्ड में शामिल क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों के कार्यकाल में क्या कोई असमानता है ? क्या यह सही है कि विकास खण्ड मंगरौरा की ऐसी 21 ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की अवधि विकास खण्ड शिवगढ़ एवं पट्टी के ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की सदस्यता अवधि पृथक संबंधी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

नवसृजित विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम का गठन विकास खण्ड शिवगड़ की 5 न्याय पंचायतों (दिलीपपुर, सराय गनई, करनपुर खूझी, करमाजीतपुर व सांगा पट्टी) विकास खण्ड-पट्टी की 2 न्याय पंचायतों (चन्दुआ पट्टी तथा मकरामनभौना) तथा विकास खण्ड मंगरौरा की 3 न्याय पंचायतों (आसलपुर, फेनहा व पूरे पाण्डेय) को सम्मिलित करके किया गया है ।

जी हां ।

जी हां ।

विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम में शामिल विकास खण्ड शिवगढ़ की 30 ग्राम पंचायतों एवं विकास खण्ड पट्टी की 14 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2000 में सम्पन्न हुये थे जबकि विकास खण्ड मंगरौरा से कटकर बाबा बेलखरनाथ धाम में सम्मिलित 21 ग्राम पंचायतों का निर्वाचन वर्ष 1997 में हुआ था । अतएव इन 21 ग्राम पंचायतों, जिनके प्रधानों सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2002 में पूर्ण हो चुका है के निर्वाचन की कार्यवाही अवशेष कार्यकाल तक के लिए की जा रही है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी)

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य पोस्टर और बैनर दिखाते हुए सदन के वेल में आकर तथा बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बैनर व पोस्टर दिखते हुए, श्री कार्यकारी अध्यक्ष के अनुरोध की अनसुनी करते हुए निरंतर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 जुलाई, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री लालजी वर्मा जी की है ।

(माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य की सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।

जनपद अम्बेदकर नगर के पौसरा राजबाहा में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[महोदय जनपद-अम्बेडकरनगर में पौसरा राजबाहा में पानी न आने से उक्त राजबाहा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कृषकों को धान की रोपाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की है ।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

तीसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर जी की है ।

(श्री नवाब सिंह नागर का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

चौथी सूचना श्री जगदीश नारायण जी की है ।

(माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य की सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद जौनपुर में पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

।महोदय जनपद जौनपुर पर्यटन की दृष्टिकोण से ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक अवशेष का धरोहर है। यहां का इत्र पूरी दुनिया में मशहूर था। ऐतिहासिक लुप्त तथा अवशेषों के रख रखाव न होने के कारण जनपद प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में अपना स्थान नहीं बना पा रहा है। यहां पर्यटकों को आकर्षित करके प्रदेश के राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। जनपद में एक म्यूजियम जिसमें इतिहास एवं संस्कृति की झलक मिले तथा धरोहरों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद के पर्यटन विकास की मांग करता हूं।।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

पांचवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी जी की है।

(श्रीमती विद्या चौधरी जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव जी की है।

(श्री विश्राम सिंह यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

सातवीं सूचना श्री राम किशुन जी की है।

(माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य की सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है।

जनपद चन्दौली में महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशुन–

।महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चन्दौली के तरफ दिलाना चाहता हूं उक्त जनपद बहुत ही पिछड़ा एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और नक्सलवादियों से भी प्रभावित है। इस जनपद में एक भी महिला चिकित्सालय नहीं है जिससे बीमार महिलाओं को सही इलाज की सुविधा न होने के कारण आये दिन मौतें होती रहती हैं। नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के आस पास में महिला

नोटः– ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालय बन जाता तो समस्या का समाधान हो सकता है । मरीजों को लेकर बनारस लोगों को जाना पड़ता है दूर होने के कारण रास्ते में ही महिला मरीजों की मौतें हो जाती है । महिला चिकित्सालय खोले जाने को लेकर कई बार आन्दोलन हो चुका है पिछली सरकारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे लोगों में रोष व्याप्त है । यह अविलम्बनीय विषय लोक महतव का है ।

अतः मैं आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल महिला चिकित्सालय जनपद चन्दौली में खोले जाने की मांग करता हूं । ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

अब हम प्रतीक्षा सूची से लेते हैं,

(श्री दद्दू प्रसाद जी तथा श्री राम हेत जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके खड़े न होने पर)

माननीय सदस्य श्री आर०एस० कुशवाहा जी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, प्रो० रविन्द्र पुण्डीर जी, श्री बीजू पटनायक जी, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री बाबू लाल कुशवाहा जी, डा० अजय कुमार जी तथा श्री प्रागी लाल अहिरवार जी की सूचनायें अस्वीकार की जाती है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन की वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-7-2004 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री लालजी वर्मा जी की, दूसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की, चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, पांचवी सूचना श्री उदयभान करवरिया की तथा छठवीं सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है ।

(श्री कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सूचना की ग्राह्यता पर विचार रखने हेतु सभी 6 माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने एवं किसी सदस्य द्वारा विचार न रखने पर)

मैं नियम–300 की सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री नवाब सिंह नागर श्री सतीश, महाना, श्री मुंशी लाल गौतम तथा श्री राम इकबाल सिंह आदि कई सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोक लिया)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 †

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2004†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004†

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोटः– † छापे नही गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2004) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (सदस्यों की उपलिब्धयाँ और पेंशन) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2004 ††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण दिनांक 04 फरवरी, 2004 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा

नोटः † छापे नही गये।

†† छापी नही गयी।

की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं :–

आदरणीय श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी,

आपके अर्ध शासकीय पत्र संख्या 381/अविस/2004 दिनांक 26 फरवरी, 2004 के लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इस हेतु मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

भवन्निष्ठ,

ह०/- विष्णु कान्त शास्त्री

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के, दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के लिए नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से विना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया ।

इंटेग्रेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के लिए नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

इंटेग्रेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 परवरी, 2004 का पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से विना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के लिए नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से विना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के लिए नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 का पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से विना किसी संशोधन के दिनांक 21 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने

अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का पाँचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 20 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख सुविधा (संशोधन) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 2004 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2004 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2004 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2004 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मद संख्या–16 व मद संख्या–17 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 21 जुलाई, 2004 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 22 जुलाई से 6 अगस्त, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

(1) दिनांक 22 जुलाई, 2004 को निधन के निर्देश लिये जायं, उस दिन प्रश्नकाल न हो तथा कोई सूचनाएं न ली जायें ।

(2) दिनांक 23 जुलाई, 2004 से 6 अगस्त, 2004 तक का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जायः–

जुलाई, 2004

23 शुक्रवार	1–औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयक का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों । **2.00 बजे अपराह्न** 2–असरकारी कार्य 3– डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा:– "उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण हेतु शासन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के फलस्वरूप प्रदेश में बड़ी मात्रा में अधोमानक दवाएं उपलब्ध होने के संबंध में ।"
24 शनिवार 25 रविवार	बैठक नही होगी ।
26 सोमवार	1– अध्यक्ष का निर्वाचन । 2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर दो घण्टे की चर्चा:– "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों का समान विकास करे ।"

27 मंगलवार	
28 बुधवार	विधायी कार्य ।
29 गुरुवार	
30 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन) 2–विधायी कार्य (आधा दिन)
31 शनिवार	
अगस्त, 2004 ---	बैठक नही होगी ।
01 रविवार	
02 सोमवार	विधायी कार्य ।
03 मंगलवार	1–विधायी कार्य । 2–1.00 बजे अपराह्न । (1) वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण । (2) वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।
04 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । 2–वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों पर सामान्य चर्चा मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण ।
05 गुरुवार	विधायी कार्य ।
06 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन) 2–विधायी कार्य (आधा दिन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दी गई है , सहमत है ।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में रखा गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मद संख्या-19 में कुछ नहीं है ।

मद संख्या-20

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 1.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण 12 बजकर 30 मिनट पर श्री कार्यकारी अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 01 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री कार्यकारी अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 02 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

नोटः- † दिनांक 24-8-2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होते ही भारतीय जनता पार्टी के डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना, डा० विनोद तिवारी, श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा श्री नवाब सिंह नागर के साथ फ्लोर में बैठे अनेक सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे तथा बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप हम लोगों की बात सुन लें । हम लोग पूरे प्रदेश की जर्जर कानून-व्यवस्था के बारे में अपनी बात आपसे कहना चाहते थे ....

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप लोग अपने स्थान पर चले जाइये । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

अब मैं अगली मद लेता हूं ।

नियम-311, नियम-301 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 जुलाई, 2004 को नियम-311 में प्राप्त 11 सूचनाओं को, नियम-301 में प्राप्त 1 सूचना एवं नियम-300 में प्राप्त 1 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और श्री राजेश अग्रवाल की, प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इनकी सूचना नियम-311 में प्राप्त हुई थी । आप अपनी बात रखें ।

(किसी सदस्य द्वारा अपनी बात न रखने पर)

अब मैं अन्य सदस्यों के नाम पढ़ रहा हूं जिनकी इसी विषय पर सूचना नियम–311 में प्राप्त हुई है । श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री लालजी वर्मा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज और श्री ओ०पी० सिंह । कोई माननीय सदस्य अपनी सूचना पर बोलना चाहेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम अपनी बात रखेंगे ।

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है गुण्डाराज कायम हो गया है । चारों ओर घटनाएं हो रही हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं ....

(घोर व्यवधान जारी)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए होता है । [xxx]

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जोर-जोर से नारे लगाते रहे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी यह सरकार गूंगी और बहरी बन गयी है । यह [x x x] की सरकार है .....

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना भाषण जारी रखा लेकिन घोर व्यवधान के मध्य कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, जो जिले समाप्त किये गये हैं वह बहाल नहीं हुए हैं । यह सरकार कानून के विरुद्ध काम कर रही है । हाई कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं हो रहा है ।

(विपक्ष के कुछ सदस्य वेल से आगे बढ़कर धक्कामुक्की करने लगे)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जायें और चर्चा में भाग लें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कृपया सदन को व्यवस्थित करायें ताकि चर्चा में भाग लिया जा सके ।

(नारेबाजी)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदन शान्तिपूर्वक चले । भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री कार्यकारी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । आपको अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपके जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुयी है लेकिन उसके मुल्जिम आज तक नहीं पकड़े गये हैं । मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं । आपको हमें अपना संरक्षण देना चाहिए ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आपकी पूरी बात आ जाएगी ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, [xxx] मान्यवर, सरकार को समर्थन दे रहे लोगों को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है ।

(घोर व्यवधान बना रहा)

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, यह सरकार कानून का मखौल उड़ा रही है, हाईकोर्ट के आदेश को भी नही मान रही है । जिले बहाल करने के आदेश का मखौल उड़ाया जा रहा है ।

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए । अगर आप संरक्षण नही देंगे, तो सदन कैसे चलेगा ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर अपनी-अपनी बात कहते रहे । जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल से यह कहना चाहता हूं कि जब सदन कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो फिर क्यों नहीं यह चर्चा होने दे रहे हैं ? मान्यवर, इसमें चर्चा करायें तो सच्चाई सामने आ जायेगी । यह नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो इसलिए यह व्यवधान

नोट :–[xxx] यह अंश श्री कार्यकारी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पैदा कर रहे हैं । आपने स्वामी प्रसाद मौर्या जी को बोलने की अनुमति दी, तो उनको अपने विचार रखने दें, सदन को व्यवस्थित करायें ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । हम पूरी चर्चा करा रहे हैं । सबको बोलने का मौका मिलेगा । आप लोग अनुशासन बनाये रखें और सदन की मर्यादा का पालन करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, आप सदन को व्यवस्थित करायें ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

मैं इस सूचना को, जोकि श्री लालजी टण्डन, श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री राकेश अग्रवाल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री लालजी वर्मा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री ओ०पी० सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री संजीव दरियाबादी, श्रीमती अमिता सिंह, श्री अजय कपूर, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री राम नरेश यादव, श्री विवेक बंसल, श्री राम इकबाल सिंह, डा० राम बाबू हरित, डा० विनोद तिवारी, श्री उदयभान करवरिया, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी एवं श्री प्रागी लाल अहिरवार की है, निरस्त करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–311 में प्राप्त दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री अजय कपूर, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री संजीव दरियावादी, श्रीमती अमिता सिंह, श्री विवेक बंसल, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा० राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट के सम्बन्ध मे है ।

माननीय सदस्यगण इस सूचना पर अपने विचार रखें ।

(नाम पुकारे जाने पर किसी सदस्य द्वारा सूचना पर न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

नियम–311 में प्राप्त तीसरी सूचना श्री सतीश महाना और श्री सलिल विश्नोई की लवकुश गंगा वैराज कानपुर का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में है ।

माननीय सदस्यगण इस सूचना पर अपने विचार रखें ।

(नाम पुकारे जाने पर किसी माननीय सदस्य द्वारा सूचना पर न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

नियम–311 में प्राप्त चौथी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की प्रदेश के नौ जिलों व चार मण्डलों के बहाली के उपरान्त डी०एम० और एस०एस०पी० की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

माननीय सदस्य इस सूचना पर अपने विचार रखे ।

(नाम पुकारे जाने पर सदस्य द्वारा सूचना पर न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

नियम–311 में प्राप्त पांचवी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० विनोद तिवारी तथा श्री हुकुम सिंह की प्रदेश के किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

माननीय सदस्यगण इस सूचना पर अपने विचार रखें ।

(नाम पुकारे जाने पर किसी सदस्य द्वारा सूचना पर न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत नियम–300 में प्राप्त सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर की रात्रिकालीन आपात विद्युत कटौती बन्द करने एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में है ।

माननीय सदस्य इस सूचना पर अपने विचार रखें ।

(नाम पुकारे जाने पर सदस्य द्वारा सूचना पर न बोलने पर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चर्यानित न होने के कारण अस्वीकृत हुई उनके नाम हैं –श्री धर्मपाल सिंह, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री प्रागी लाल अहिरवार ।

कार्य सूची की मद संख्या–23 पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री अक्षयवर लाल गौड़, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री रमापति राय उर्फ श्री रमाकान्त गौड़ के निर्धारित संकल्प का मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किया जाना

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मा० सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मैं इस संकल्प को व्यपगत करता हूं ।

अब माननीय सदस्य भी अक्षयवर लाल गौड़ अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मैं इस संकल्प को व्यपगत करता हूं ।

अब माननीय सदस्य भी अक्षयवर लाल गौड़ अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मैं इस संकल्प को व्यपगत करता हूं ।

माननीय सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं संकल्प प्रस्तुत न करने पर)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

मैं इस संकल्प को व्यपगत करता हूं ।

अब श्री रमापति राम उर्फ रमाकान्त गौड़ अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों के परीक्षण सम्बन्धी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम–52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा पर मा० सदस्य द्वारा विचार व्यक्त न किया जाना

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी क्या आप अपने द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा में भाग लेंगे ?

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एक चर्चा प्रारम्भ न करने पर)

मैं इस चर्चा का व्यपगत करता हूं ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा की, जनपद अम्बेडकरनगर स्थित महरीपुर लिफ्ट कैनाल टांडा के पम्प न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की प्रदेश के सभी 26 नगरीय विधायकों के क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री अनवर महमूद की विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ में सहायक विद्युत निरीक्षक के पदों पर चयन हेतु धांधली किये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद बस्ती के ग्राम जयपालपुर की श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री रामचन्द्र चौधरी एवं उनके दो नाबालिग पुत्रों के अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की साधन सहकारी समिति लिमिटेड, चिठहरा दादरी में सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा निर्णय न लिये जाने से किसानों के उर्वरक व्यवसाय पर हो रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठवीं सूचना श्री ओ०पी० सिंह की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम जासापारा के पांच बच्चों की गोमती नदी में डूबकर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में शासन द्वारा उनके परिजनों को सहायता धनराशि न दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद वाराणसी एवं चन्दौली तथा बिहार को जोड़ने वाली गंगा नदी पर पुल की मरम्मत कार्य शुरू करने से पूर्व गंगा पर दो पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अशोकपुर असुद्दी मार्ग पर पट्टी नाला पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण समयान्तर्गत कराने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । नौवी सूचना डा० अजय कुमार की प्रदेश की निजी चीनी मिलों द्वारा न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य एवं राज्य परामर्शित मूल्य के अन्तर का गन्ना मूल्य का भुगतान कृषकों को अभी तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री ददू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं की कमी को देखते हुए शीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । ग्यारहवी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की राजकीय मुद्रणालय के औद्योगिक श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान का संशोधन करने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । बारहवी सूचना श्री बीजू पटनायक की जनपद गाजीपुर स्थित सेंदपुर चन्दौली में गंगा नदी पर अधूरे पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । तेरहवी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा नियत वेतनमान में सेवायोजित कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि और प्रोन्नति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । चौदहवी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ शहर के श्री प्रदीप की हत्या के फलस्वरूप उनके परिवार को मुख्यमंत्री द्वारा सहायता राशि दिये जाने की घोषणा के उपरान्त भी सहायता राशि न दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । पन्द्रवी सूचना श्री जयराम विमल की जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम रामनगर में श्याम सुन्दर पुत्र आशाराम चौरसिया को पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । सोलहवी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा अधिकारी डा० कुलदीप माथुर को शासनादेशों के विरुद्ध उनके गृह उन्नाव में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । सत्रहवी सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामनगर कलां व जनकपुर तथा रमेश्वारापुर में शारदा नदी के कटान में सैकड़ों गांवों के लोगों की आवासीय समस्या से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्य की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री आर० एस० कुशवाहा, श्री जगदीश नारायण राय, श्री देव नारायण उर्फ जी०एम० सिंह, डा० सुशील चौधरी, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री रामहेत भारती, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, प्रो० रविन्द्र पुण्डीर, श्री धनन्जय सिंह, श्री मिथिलेश कुमार, श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्री बादशाह सिंह ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के विधायकों के क्षेत्रों से लोक निर्माण विभाग की सड़कें गुजरती हैं । परन्तु नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को उनके अनुरक्षण, चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु पैसा नहीं मिलता है । इन सड़कों की जल निकासी की व्यवस्था भी नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की कसमकश में फंस गई है । मेरठ नगर निगम में भी हापुड़ अड्डे से बागपत गेट तथा सी०ओ० आफिस से शारदा रोड होकर पुरानी चुंगी तक (गढ़ सोनीपत मार्ग के मिसिंग लिंक) के सुदृढ़ीकरण का भी प्रकरण भी शासन में लम्बित है । गढ़ रोड से रुड़की रोड चुंगी तक की सड़क यातायात के दवाव में सुधार मांग रही है । मेरठ-परीक्षितगढ़–आसिफाबाद मार्ग पर तत्काल धन अवमुक्त होकर चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण आवश्यक है । मेरठ–गढ़मार्ग किठौर, शाहजहांपुर में अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है, नालपुर का क्षतिग्रस्त पुल भी जनता के कष्ट एवं लोक निर्माण विभाग की उपेक्षा का गवाह है ।

उक्त सूचना में इंगित मार्गों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति मार्गवार निम्नवत् है :–

1–<u>हापुड़ अड्डे से बागपत गेट तक तथा सी०ओ० आफिस से शारदा रोड होकर पुरानी दिल्ली चुंगी तक</u>

प्रश्नगत मार्ग नगर निगम के अधीन है, अतः कार्यवाही नगर निगम द्वारा ही की जाती है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–गढ़ रोड से रुड़की रोड़ चुंगी तक

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, उसको सीमित संसाधनों के अन्तर्गत यातायात योग्य रखा जाता है । इसमें गढ़ मेरठ मार्ग एवं मेरठ-बदायूं मार्ग विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-द्वितीय के अन्तर्गत वृहद रख-रखाव हेतु चयनित है । इनकी परिकल्पना का कार्य प्रगति पर है जिस पर क्रमशः अप्रैल, 2005 एवं अक्टूबर, 2005 से कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य है । दिल्ली नीति पास मार्ग पर बेहतर विभागीय मानकों के अनुसार नवीनीकरण स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति में है ।

3–मेरठ परीक्षितगढ़ आसिफाबाद मार्ग

इस मार्ग के किलोमीटर 06 (800 मीटर) की विशेष मरम्मत हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक : 16 सी०जी०, दिनांक 06-01-2004 द्वारा रुपया 16.85 लाख की स्वीकृति दी गयी थी जिसके विरुद्ध कार्य पूर्ण करा दिया गया है । वर्तमान में मार्ग यातायात योग्य है ।

4–मेरठ–गढ़मार्ग किठौर शाहजहांपुर

मेरठ–गढ़मार्ग के किठौर एवं शाहजहांपुर आबादी भागों में वर्तमान में मार्ग यातायात योग्य है एवं मेरठ–गढ़मार्ग विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट–द्वितीय के अन्तर्गत वृहद रख-रखाव हेतु चयनित है ।

5–नालपुर का क्षतिग्रस्त पुल

नालपुर वर्तमान में जनपद गाजियाबाद में है तथा वहां पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य पूर्ण है तथा मार्ग यातायात हेतु खुला है ।।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ शहर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य विधान सभा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ नगर में .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को वन्द किए जाने के सम्वन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना की नोटिस दिनांक 20-2-2004 में मुख्य रूप से निम्न विन्दु उठाये है :–

(1) सूचना की नोटिस में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दो रिट याचिकाओं संख्या–2435/2001 एवं 34957/2003 में पारित आदेशों के क्रम में लखनऊ नगर में विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वन्द कराने के लिए नोटिस दिये जाने के कारण जनाक्रोश उभरने की सूचना दी गयी है । यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त रिट याचिकाओं में से रिट याचिका–2435/2001 में मुख्यतः लखनऊ नगर के सौन्दर्यीकरण, अतिक्रमण हटाने विषयक आदेश दिये गये हैं जबकि दूसरी रिट याचिका 34957/2003 में आगरा में मास्टर प्लान में दिये गये आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे दैनिक आवश्यकता की दुकानें, नर्सिंग होम, स्कूल, जलपान गृह, गेस्ट हाउस आदि वन्द कराने के आदेश दिये गये हैं ।

(2) व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को वन्द किये जाने के कारण हो रहे जनाक्रोश एवं व्यापारी संगठनों द्वारा वन्द आयोजित करने की सूचना देते हुए मा० सदस्य ने अवगत कराया है कि उपरोक्त कार्यवाही से मात्र लखनऊ में ही लगभग 07 से 08 लाख परिवार प्रभावित होंगे । अतः मा० उच्च न्यायालय के सम्मुख जनहित के पक्ष को प्रस्तुत कर समस्या का समाधान निकालने का अनुरोध किया गया है ।

(3) मा० सदस्य ने मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का त्रुटिपूर्ण अर्थ निकालने एवं न्यायालय के आदेशों की आड़ में जनता का उत्पीड़न करने की सूचना देते हुए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अलग से कानून वनाने अथवा पुराने कानून में संशोधन करने की अपेक्षा की है ।

2–रिट याचिका संख्या–34957/2003 श्रीमती मिथिलेश जैन वनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-8-2003 के अनुपालन में महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाये जाने के निर्देश समस्त विकास प्राधिकरण तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् को दिनांक 10-11-2003 व 28-6-2004 को निर्गत किए गये हैं । दिनांक 10-11-2003 को निर्गत आदेशों में क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध किए जा रहे उपयोग पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या–2435/2001 में पारित आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने/अवैध भू-उपयोगों के सम्वन्ध में शासन द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन के निर्देश ही निर्गत किये गये हैं । स्पष्ट है कि शासन स्तर से नियमों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्थानुसार कार्यवाही के निर्देश ही निर्गत किये गये हैं ।

3–उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्/विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में जनता की सुविधा के लिए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपविधि के अनुसार प्राविधान किये गये हैं । आवासीय भवनों में

नोट :– [| यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कई आवंटियों द्वारा अनधिकृत रूप से व्यवसायिक एवं अन्य उपयोग किया जा रहा है जिससे जनसामान्य को असुविधा हो रही है । ऐसे भवनों/भूखण्डों के आवंटियों को कारण बताओ नोटिस/सील करने की कार्यवाही नियमों/मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नियमानुसार की जा रही है जो जनहित में है ।

4–मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के कारण जनसामान्य को हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत दिनांक 16-6-2004 को प्रमुख सचिव, न्याय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी थी । उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की विभिन्न धाराओं में उपलब्ध/प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख करते हुए शासन का पक्ष मा० उच्च न्यायालय के सम्मुख रखने के लिए "पार्टी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन" प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है ताकि मा० उच्च न्यायालय से कोई पुनरीक्षित आदेश पारित करने का निवेदन किया जा सके और समस्या का समाधान सम्भव हो सके । मा० उच्च न्यायालय के पुनरीक्षित आदेश प्राप्त हो जाने पर आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात क्षेत्र की महायोजना में उल्लिखित जोनिंग रेगुलेशन्स में अनुमन्यता के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है ।]

राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों के प्रति सूडा के अधिकारियों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध वेतन आदि में वित्तीय अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्याण सिंह दोहरे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य, विधान सभा की उपरोक्त सूचना दिनांक 20-02-2004 राज्य खनिज विकास निगम .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[के उन छटनी शुदा कर्मचारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर सूडा में कार्यरत हैं, को अधिक वेतन देकर प्रति वर्ष लाखों रुपये की क्षति पहुंचाने तथा राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ के लिये अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम के छटनी शुदा कर्मचारियों में मात्र श्री राजेश कुमार पाण्डेय सूडा में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई है । राजकीय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुद्रणालय, लखनऊ के आदेश संख्या–125, दिनांक 07-03-2002 द्वारा उनकी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर हो जाने के फलस्वरूप इन्हें राज्य नगरीय, विकास अभिकरण (सूडा) के पत्र संख्या–325/403/दो/99, दिनांक 23-04-2002 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया था, जिसके विरुद्ध श्री पाण्डेय ने मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–2512 आफ 2002(एस/एस) दायर की थी। मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में यह अन्तिम आदेश पारित किये गये कि याची को कोई पद स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। यदि याची पद को ग्रहण करने से मना करता है तो सूडा याची को कार्यमुक्त करने अथवा अन्य कोई विधिक कदम उठाने के लिये स्वतंत्र होगा।

मा० न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सूडा के पत्रांक–2291/रिट याचिका/2512(एस/एस) 2002, दिनांक 02-09-2002 के माध्यम से श्री पाण्डेय को अनुबन्ध पत्र इस आशय से प्रेषित किया गया कि यदि अभिकरण की शर्तों पर संविदा पर अन्तिम देय वेतन पर कार्य करने के इच्छुक हों तो अनुबन्ध पत्र यथा अनुरूप हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। श्री पाण्डेय ने दिनांक 09-02-2002 को स्वहस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र प्रेषित किया जिसके अन्तर्गत सूडा के आदेश संख्या–3619/2512/2002 दिनांक 04-12-2002 के द्वारा दिनांक 09-09-2002 से ढाई वर्ष की अवधि के लिये श्री पाण्डेय को अनुबन्ध के आधार पर नियत वेतन रु० 10266.00 प्रतिमाह पर नियुक्त किया गया था। सूडा के कार्यालय आदेश संख्या–38873/98/तीन/2000 दिनांक 20-12-2002 के अन्तर्गत इसे संशोधित करते हुये संविदा अवधि दिनांक 09-09-2002 से एक वर्ष के लिये की गई। सूडा के कार्यालय आदेश संख्या–1968/403/दो/99 दिनांक 19-02-2002 के अन्तर्गत श्री पाण्डेय की संविदा अवधि दिनांक 08-09-2004 तक अनुबन्ध पत्र के पूर्व शर्तों के अन्तर्गत बढ़ाई गई है।]

जनपद प्रतापगढ़ स्थित पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

[विधान सभा में दिनांक 17-2-2004 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित घोषणा संख्या–70/2001 दिनांक 9-6-2001

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के क्रम में ग्राम-सभा–रसूलपुर हैदरपुर के नाम परिवर्तन का शासनादेश निर्गत कराये जाने एवं 5 ग्रामों (फेनहा, वारीकला आदि) में पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के विन्दु उठाये गये हैं ।

2–तत्कालीन मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09-06-2001 को जनपद–प्रतापगढ़ के भ्रमण के दौरान ग्राम ''रसूलपुर हैदरपुर'' ब्लाक देवसरा का नाम चन्द्रभूषण शाह जी ग्राम के नाम पर रखने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी थी । (घोषणा संख्या–70/2001 दिनांक 9-6-2001)

किसी ग्राम का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के परिपत्र संख्या–130/53 पब्लिक दिनांक 11-9-1953 में मानक निर्धारित किये गये हैं । उक्त नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या–1743/एक–1/200-1-1(20)/2001-137 दिनांक 29-10-2001 द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गयी । उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 1126/2001 एम०एण्ड जी० दिनांक 26-11-2001 द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम ''रसूलपुर हैदरपुर'' का नाम बदलकर ''चन्द्रभूषण शाह जी ग्राम'' रखे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव की जाँच की गई। इस सम्बन्ध में विद्यमान नीतिगत दिशा-निर्देश किसी शहर, कब्जा या गॉव के नाम को बदलकर स्वतंत्रता सेनानी या बलिदानी या कुछ मानवतावादी कार्यों में रत, लोगों के नाम पर पुनर्नामित करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार का प्रस्ताव इस मंत्रालय के दिनाँक 11-9-1953 के दिशा-निर्देशों पत्र संख्या 11-9-53 पब्लिक के पैरा (111) की सम्पुष्टि नहीं करता है। भारत सरकार ने ग्राम रसूलपुर का नाम बदलकर ''चन्द्रभूषण शाह जी ग्राम'' रखने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।

अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त निर्देश के क्रम में ग्राम रसूलपुर हैदरपुर ब्लाक देवसरा का नाम बदलकर ''चन्द्रभूषण शाह जी ग्राम'' ग्राम रखना सम्भव नहीं है।

3–पॉच ग्रामों (फेनहा, वारीकला आदि) में पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 09-06-2001 को जनपद प्रतापगढ़ के भ्रमण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि ''विधान सभा क्षेत्र-पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के गॉव फेनहा, हरीपुर-बरदैता, रत्तीपुर, वारी-कला, सराय मघई को पेयजल योजना में शामिल किया जायेगा''।

दिनाँक 16-01-2003 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में उक्त ग्रामों की पेयजल योजनाएं केन्द्र पोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित की गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
1	फेनहा	34.95
2	वारी कला	31.60
3	रत्तीपुर	21.45
4	सराय मघई	24.65
5	हरीपुर बरदैता	24.50

उक्त योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रथम किश्त रु० 45.70 लाख की धनराशि क्षेत्र को उपलब्ध करा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में उक्त योजनाओं हेतु रु० 30.44 लाख की धनराशि और अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त योजनाओं हेतु कुल रु० 76.14 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। फेनहा, बारीकला एवं रतीपुर योजना के अन्तर्गत 1-1 नलकूप का निर्माण कर लिया गया है, शेष दो योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त घोषणा की पूर्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र को गाढ़ा ताल व टौंस नदी की बाढ़ से बचाने हेतु पक्की ड्रेन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को यह सूचना दी गयी है कि....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

[रसड़ा विधान सभा में गाढ़ा ताल व टौंस नदी की बाढ़ के पानी का भारी दबाव को दूर करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने रु० 407.50 लाख का धन पक्की ड्रेन के निर्माण के लिए स्वीकृत किया था। इसी तारतम्य में लसरा ड्रेन पर पुल निर्माण के लिए रु० 46.50 लाख स्वीकृत किया गया था। यदि सरकार ने उक्त गाढ़ा ताल से टौंस नदी तक पक्का ड्रेन का निर्माण नहीं बनवाया और लसरा ड्रेन पर पुल नहीं बनाया तो बाढ़ के काल के गाल में किसान की पूरी खेती डूब जायेगी और जन आन्दोलन होगा।

उक्त के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत गाढ़ा ताल से टौंस नदी तक पक्का ड्रेन के निर्माण हेतु वर्ष 2003-04 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी बन-टाईम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रु० 4.07 करोड़ का परिव्यय आवंटित करते हुए नियोजन विभाग का यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि परियोजना का प्रयोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से परीक्षण कराकर परिव्यय का उपयोग करने तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त कार्य सम्पादित किया जाय। चूँकि सिंचाई विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाकर प्रस्तुत नहीं की गयी थी। अतः नियोजन विभाग के निर्देशानुसार परियोजना तैयार कर तकनीकी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही थी, इसी बीच माह नवम्बर, 2003 में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत नाले के निर्माण के कार्य को निरस्त कर दिया गया है।

विभागीय सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में लसरा नाम की कोई ड्रेन नहीं है। अतः लसरा ड्रेन पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ।

जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पकड़ी ताल से निकलने वाली ड्रेन की खुदाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को यह सूचना दी गयी है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में पकड़ी ताल है.....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

। जिसमें नहरों की टेल का पानी गिरता है। पकड़ी ताल से निकलने वाली ड्रेन मिट्टी से भर गयी है, जिससे हजारों एकड़ रोपा हुआ धान डूब जाता है तथा हजारों एकड़ गेहूँ भी डूब जाता है। इस ड्रेन की खुदाई हेतु अप्रैल, 2003 में लगभग सात लाख रुपया अवमुक्त किया गया था, परन्तु अभी तक ड्रेन की सफाई नहीं हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में कपड़ी ताल ड्रेन स्थित है, जिसकी कुल लम्बाई 12.60 कि०मी० एवं डिस्चार्ज 8.08 क्यूसेक है। इस ड्रेन की सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु० 7.60 लाख का बजट आवंटन किया गया था। माह मार्च, 2004 में ड्रेन की कुल लम्बाई 12.60 कि०मी० में सफाई का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, सोमवार दिनांक 26 जुलाई, 2004 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 50 मिनट पर सोमवार दिनांक 26 जुलाई, 2004 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

दिनांक 23 जुलाई, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर।)

संलग्नक

शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं

1—उद्योग विभाग–

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री रोजगार योजना" का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा 02 अक्टूबर, 1993 से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत जून, 2004 तक 3,62,084 लाभार्थियों को ऋण वितरण कराकर उनके उद्यम/सेवा/व्यवसाय स्थापित कराये गये हैं। योजनान्तर्गत 18 से 35 आयु वर्ग के जिनकी वार्षिक आय 40,000 तक है, को रु० 2.00 लाख तक के ऋण की सुविधा बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराकर उद्यम/व्यवसाय स्थापित कराये जाते हैं जिस पर 15 प्रतिशत उपादान (अधिकतम 7,500/-) अनुमन्य है।

2—ग्राम्य विकास विभाग–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा "रोजगार छतरी योजना" के अन्तर्गत (रोजगार संकल्प) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए 12,50,000 स्वरोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग है जिसका कार्यान्वयन खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम विकास विभाग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, नगरीय रोजगार (सूडा) पिछड़ा वर्ग कल्याण, विभाग, सू०प्रौ० एवं इलेक्ट्रानिक्स, दुग्ध विकास विभाग, पशुधन विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि, सहकारिता, श्रम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, महिला कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, संस्कृति, परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है।

3—समाज कल्याण विभाग–

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (स्थापित मार्च, 1975) द्वारा केवल अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे परिवारों के आर्थिक भुगतान हेतु स्वतः रोजगार योजना संचालित की जा रही है। निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रु० 7.00 लाख तक की योजनाओं में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को बैंक/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्त पोषित कराकर लाभान्वित कराया जाता है। इस योजना में अधिकतम रु० 10,000/- अनुदान तथा योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

4–समन्वय विभाग–

समन्वय विभाग के अधीन कृषि विविधीकरण परियोजना (डाम्क) संचालित है। विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना (डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट-प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत पशुपालन विभाग के माध्यम से शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु पैरावेट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परियोजना अवधि में 1308 ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रशिक्षण अवधि में रुपये 1000/- प्रतिमाह प्रशिक्षण छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है।

5–विकलांग कल्याण विभाग–

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा ऐसे विकलांग व्यक्ति (शिक्षित/अशिक्षित) जिनकी आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, को दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत रु० 15,000/- का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर तथा रु० 5000/- का अनुदान दिया जाता है। लाभार्थी के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्गफुट की भूमि हो, या जो अपने स्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लीज पर लेने में समर्थ हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता०प्र०सं०-23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 2 पर 1)ङ

विधान सभा पट्टी प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1996 से जून, 2004 तक कराये गये कार्यों की सूची

क्रम सं०	सड़क का नाम	वर्ष
1	2	3
1	गंगेहटी कंधई हनुमानगंज थाने से पाण्डेय पुरवा	1996-97
2	गंगेहटी से कंधई हनुमानगंज	1996-97
3	पट्टी कोहड़ौरा मार्ग से महदहा	1996-97
4	खागलपुर सम्पर्क मार्ग	1996-97
5	अमरगढ़ चिलावां	1997-98
6	पीथापुर सम्पर्क मार्ग	1997-98
7	सरौली सम्पर्क मार्ग	1998-99
8	विरौती से विरौली सम्पर्क मार्ग	1997-98
9	बहुता सम्पर्क मार्ग	1997-98
10	गंगेहदी सम्पर्क मार्ग	1998-99
11	पूरेदलपत शाह विक्रम पट्टी	1998-99
12	मोलनापुर सम्पर्क मार्ग	1999-2000
13	मेंहदिया मांगलापुर	1998-99
14	अन्तपुर धूधती मार्ग	2001-2002
15	आलापुर विरदी मार्ग	2001-2002
16	बनवीरपुर सम्पर्क मार्ग	2001-2002
17	सदहा पचौरी मार्ग	2001-2002
18	सदहा पचौरी मार्ग	2001-2002
19	नरहरपुर कसिवाही	2003-2004
20	पयागपुर ओरिस्ता जोगीपुर	1999-2000
21	पाण्डेय का पुरवा-दोहरी माडर	1999-2000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
22	रमईपुर दिसिनी मार्ग	1999-2000
23	उसरौली ठनेपुर गोपापुर	1999-2000
24	कंघई स्कूल मझानीपुर	1999-2000
25	महदहा सम्पर्क मार्ग	1999-2000
26	विदूला सम्पर्क मार्ग	1999-2000
27	रूपछत्र सम्पर्क मार्ग	1999-2000
28	पदुमपुर सम्पर्क मार्ग	1997-98
29	ढकवा इब्राहिमपुर	1997-98
30	सर्वजीतपुर सम्पर्क मार्ग	1997-98
	लेपन स्तर तक पूर्ण कार्यों की सूची	
1	ढकवा इब्राहिमपुर मार्ग	1997-98
2	सर्वजीतपुर सम्पर्क मार्ग	1997-98
3	बिरौती से बिरौली सम्पर्क मार्ग	1997-98
4	बहुता सम्पर्क मार्ग	1997-98
5	गंगेहटी सम्पर्क मार्ग	1998-99
6	मोलनापुर सम्पर्क मार्ग	1999-2000

पी० एस० यू० पी०–एल० 154 विधान सभा (304)–4-10-2004–813 प्रतियां ।